भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

**(खेल विभाग)**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 774**

उत्तर देने की तारीख 16 अगस्‍त, 2012

25 श्रावण, 1934 (शक)

**आई पी एल मैचों में मैच फिक्सिंग**

774. श्रीमती गुन्डु सुधारानीः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में समाप्त हुए इण्डियन प्रीमियर लीग (आई पी एल) मैचों

में मैच फिक्सिंग आदि से संबंधित गंभीर मामले हुए हैं;

(ख) फ्रेंचाइजी द्वारा बोली लगाये जाने तथा इस पूरी घटना में बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट

इन इण्डिया (बी सी सी आई) की भूमिका के संबंध में जांच करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई

की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रर्वतन निदेशालय ने आई पी एल-2 निधि हस्तांतरण, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन अन्तर्निहित है, के संबंध में बी सी सी आई को नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बी सी सी आई तथा आई पी एल फ्रेंचाइजी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(श्री अजय माकन)

(क) से (ड.) : अभी कुछ ही समय पूर्व, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड(बीसीसीआई)/ इंडियन प्रीमियर लीग( आईपीएल) के बारे में फ्रेंचाइजिज के आवंटन, मैच फिक्‍सिंग, सट्टेबाजी आदि संबंधी कई विवाद जो प्रिंट और इलैक्‍ट्रानिक मीडिया के विभिन्‍न माध्‍यमों में रिपोर्ट किए गए थे, वे सरकार के नोटिस में आए हैं । प्रवर्तन निदेशालय, आय कर एवं सेवा कर विभाग नामक कई सरकारी एजेंसियों ने देश में बीसीसीआई/ आईपीएल की अनियमितताओं के आरोपों की जांच की है।

की गई जांचों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 (फेमा) के तहत अधिनिर्णायक प्राधिकारी ने आईपीएल-2 के आयोजन के संबंध में बीसीसीआई और उसके पदाधिकारियों को फेमा के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्‍लंघन करने के लिए 11 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं ।

\*\*\*\*\*\*